

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-621/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.189-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(239)-2022

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क). सारणी में, कॉलम (3) में-

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, खण्ड (क) में, शब्द "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाे वाली सेवाएँ" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में, उप खण्ड (i) में, शब्द "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ" निकाल दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, खण्ड (i) में, शब्द "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ" निकाल दिये जायेंगे;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, प्रथम परन्तुक में, खण्ड (i) में, शब्द "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ" निकाल दिये जायेंगे;

(ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "निवास के रूप में" के पश्चात, शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो," बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग). क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा:-

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;"

(ड). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, खण्ड (घ) को निकाल दिया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, खण्ड (ख) और (ग) को निकाल दिया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी:-

(3)				
"अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं";				
(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी:-				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ञ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52क	शीर्षक 9985	दूर प्रचालक सेवा, जो आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और दूर ऑपरेटर द्वारा विदेशी पर्यटक को उपलब्ध कराई जाती है, भारत के बाहर उपलब्ध कराई जाने वाली दूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक परन्तु यह कि भारत के बाहर दी गई दूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल प्रतिफल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के	Nil	Nil";

बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और दूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे दूर के लिए कुल प्रतिफल शुल्क का 50%, जो भी कम हो:

परन्तु यह और कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - "विदेशी पर्यटक" का तात्पर्य अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है।

दृष्टांत:

कोई दूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:-

(क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन;
पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल शुल्क: रु. 1,00,000/-,

छूट: रु. 40,000/- (= रु. 1,00,000/- x 2/5) या, रु. 50,000/- (= रु. 1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-);

(ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें;
पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल शुल्क: रु. 1, 00, 000/-.

छूट: रु. 60, 000 (= रु. 1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो, यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-);

(ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में

		3दिन, पूरे दौर के लिए लिया गया प्रतिफल शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात्, रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-).		
--	--	---	--	--

(ण). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, खण्ड (ज) को निकाल दिया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(द). क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ध). क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, खण्ड (क) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)
"परन्तु यह कि इस प्रविष्टि में निहित कोई बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कम्परे इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न के रूप में ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो।";

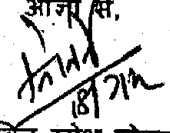
(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी;

(3)
"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा, या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्ण अस्तित्व द्वारा खेल,";

(फ). क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्द "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" बढ़ा दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

 (निशिन रमेश गोकर्ण)
 प्रमुखसचिव